तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के पश्चात मोहन व श्यामी बाई ने भूमि अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा ली जबकि मंगना के हिस्से में प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा, गोपीबाई, मोहन, श्यामी बाई व उदय लाल का प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा है। मंगना के हिस्से में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा है। इसलिए प्रार्थीया घोषणा कराना चाहती है। खाता संख्या 41 में प्रार्थीया का 1/5 हक हिस्सा खाता संख्या 67 में प्रार्थीया का 1/125 हक हिस्सा है, खाता संख्या 42 में प्रार्थीया का 1/25 हक हिस्सा निहित होने से प्रार्थीया द्वारा घोषणा खातेदारी की चाही गई है। विपक्षी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया जाने पर वकील प्रार्थीया की एक एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस को सुना जाने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित मानते हुए विपक्षी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश एक पक्षीय जारी किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब एवं सुनवाई में नियत की गई। विपक्षी सं. 1 की ओर से दिनांक 6-11.2024 को जवाब पेश हुआ जिसकी नकल दिलाई गई। पत्रावली को बहस में नियत की गई। दिनांक 18/12/2024 को [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम [illegible] का पेश हुआ जिसकी नकल [illegible] जवाब प्रार्थना [illegible] आदेश [illegible] नियम 7 में नियत की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 7 का स्वीकार किया जाने से मूल प्रार्थना पत्र का जवाबुलजवाब पेश हुआ जिसकी नकल दिलाई गई। पत्रावली को अन्तिम बहस में नियत की गई। वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर परीक्षण	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.10.16 15:53:25 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़

नानीबाई बनाम बाबू

मुकदमा प्रा.पत्र 212 RTA नं. 21/22 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरान्त पाया गया कि प्रार्थीया अनुसूचित जन जाति समुदाय की है। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में प्रार्थीया पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते है। इसलिए प्रार्थीया खातेदारी घोषणा की अधिकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में (i) Munda v. Munda (2008) 4 SCC 183 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि Hindu Succession Act S.T. पर लागू नहीं होता है क्योंकि धारा 2(2) के तहत S.T. को Customary Law से नियंत्रित किया जाता है। (ii) Labishwar Manjhi v. Pran Manjhi (2000 AIR SC 1654) कोर्ट ने निर्णय दिया कि S.T. परिवार में उत्तराधिकार उनकी परम्पराओं, प्रथाओं और Customary Law से तय होगे न HSA से S.T. परिवार HSA लागू नहीं केवल Customary Law या सरकार की अधिसूचना के बाद ही HSA लागू हो सकता है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी विपक्षी संख्या-1 के नाम पर पश्चातवर्ती विक्रय पत्र से इनके नाम दर्ज हुई है। तथा इनका कब्जा काश्त है। [illegible] का कब्जा काश्त भी नही है। उपरोक्त तथ्यों [illegible] प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट का प्रावधान अनुसार नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारीज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा दिनांक 28.9.2022 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रसारित की गई अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश को भी निरस्त कर	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

3 / 30

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खारीज किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	उपखण्ड अधिकारी डूँगला जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.10.16 15:53:25 IST
Reason: SelfAttested